न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2019 राजस्व अपील

1. मुकेश मीना पुत्र हजारी जाति मीना निवासी ग्राम मुण्डिया, तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट निर्णय दिनांक 31.12.2018 प्रकरण सं. 361/2018 उनवानी सरकार बनाम मुकेश

उपस्थिति : श्री चन्द्रभान सिंह चौहान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैराकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 18.02.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लालसोट द्वारा ग्राम मुण्डिया तहसील लालसोट में स्थित भूमि खसरा नं. 163 रकबा 6.00 बीघा किस्म चरागाह पर अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्ट मुकेश पुत्र हजारी को अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए दिनांक 31.12.2018 को पेनल्टी एवं तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 31.12.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया जाकर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2018 विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को न तो सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान किया ना ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में बार–बार अतिक्रमण करने का हवाला दिया है, परन्तु इस तरह की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की निजी खातेदारी की भूमि चरागाह भूमि के नजदीक है, बिना किसी पैमाईश के पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट द्वारा वर्तमान में कोई भी फसल काश्त नहीं करने एवं अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2075 रबी में ग्राम मुण्डिया तहसील लालसोट में स्थित प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 163 रकबा 6.00 बीघा किस्म चरागाह पर सरसों एंव गेहुँ की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 31.12.2018 को पेनल्टी कायम करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट पूर्ववर्ती अतिक्रमी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा वर्तमान में कोई भी फसल काश्त नहीं करने एवं अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम मुण्डिया तहसील लालसोट में स्थित प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 163 रकबा 6.00 बीघा किस्म चरागाह पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र नायब तहसीलदार लालसोट द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.12.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official